बबलू मुण्डा एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, राँची।

अनुसूची 14– फारम स0 562

आदेश–पत्रक

(देखे अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम, 129)

आदेश पत्रक ....से .... तक

जिला– राँची, केस का प्रकार– ~~एस0एस0आर0~~ अपील वाद संख्या-08/2021–22

अंचल–रातु

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी : तारीख सहित

आदेश

अभिलेख उपस्थापित। वाद के अंगीग्रहण के बिन्दु पर उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। इस विविध वाद में रातू अंचल के खाता नं0 426, प्लाट नं० 2946 का जमाबंदी रद्ध करने के लिए बबलू गुण्डा पिता स्व० फूलचन्द गुण्डा एवं दुबराज मुण्डा पिता स्व० चुमनु गुण्डा के द्वारा बिहार भूमि दाखिल–खारिज नियमावली 2012 के अंतगर्त आवेदन दिया गया है।

आवेदक बबलु मुण्डा, पिता–स्व0 फुलचन्द मुण्डा, दुबराज मुण्डा, पिता–चामु मुण्डा, सभी का निवास संजय कॉलोनी रातु, थाना–रातु जिला–रांची द्वारा निम्न विवरणी भूमि के जमाबन्दी रदद करने हेतु निवेदन करते है।

वादग्रस्त भूमि का विवरण निम्नलिखित है:–

अंचल	मौजा	थाना नं0	खाता	प्लॉट	रकबा
रातु	रातु	79	426	2943	79 डी0

आवेदक का कहना है कि वादग्रस्त भूमि खतियान में गैरमजरूआ मालिक दर्ज है। विपक्षीगण के नाम से दाखिल खारिज वाद संख्या–386 आर0 27/89–90 के आधार पर उक्त भूमि की लगान रसीद अंचलाधिकारी रातु द्वारा निर्गत की जा रही है, लेकिन इस बात की प्रविष्टि का कोई उल्लेख नहीं है।

अतः आवेदकगण उक्त भूमि पर कायम जमाबन्दी को रदद करने हेतु निवेदन करते है। विपक्षीगण न्यायालय में उपस्थित है। विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि विविध वाद संख्या 08/2021-22 में कार्रवाई हेतू बिहार भूमि दाखिल-खारिज नियम 2012 के अंतगर्त दिया गया आवेदन पोषनीय (Maintabile) नहीं है। बिहार राज्य से झारखण्ड राज्य 15 नवंबर 2000 को बना है।बिहार भूमि दाखिल-खारिज अधिनियम 2011 झारखण्ड राज्य में लागू नहीं हैं। क्योंकि बिहार पुर्नगठन अधिनियम 2000 का धारा 85 एवं 86 के अंतगर्त बिहार भूमि दाखिल-खारिज अधिनियम 2011 तथा बिहार भूमि दाखिल-खारिज नियमावली 2012 को झारखण्ड राज्य के द्वारा अंगीकृत नहीं किया गया है।

विपक्षी के कथन है कि पूर्व में भी उपसमाहर्ता भूमि सुधार सदर रांची के न्यायालय का विविध संख्या-31/2012-13 में बबलू मुण्डा पिता स्व० फूलचन्द, चुमनु मुण्डा एवं अन्य लोगों के द्वारा रातू अंचल के खाता नं0 426 प्लाट नं0 2946 का जमाबंदी रद्ध करने के लिए आवेदन दिया गया था जिसे दिनांक 29.11.2012 को खारिज का दिया गया।

पूर्व में भी उपसमाहर्ता भूमि सुधार सदर रांची के न्यायालय का विविध संख्या-31/2012-13 में पारित आदेश के विरूद्ध बबलू मुण्डा पिता स्व० फूलचन्द एवं अन्य के द्वारा अपीलीय न्यायालय में चुनौती नहीं दिया गया है।

इस प्रकार यह विविध वाद प्राड़ न्याय के सिद्धान्त (Deoctrine of Res-Judicata) से प्रभावित है क्योंकि पूर्ववर्ती एवं पश्चातवर्ती वादों का वादपदग्रस्त विषय-वस्तु एवं पक्षकार समान हैं। आवेदकों के द्वारा विविध संख्या-31/2012-13 में पारित तथ्यों को छुपाया गया है। अतः आवेदक का आवेदन निरस्त किया जाय।

उभय पक्षो के तर्क सुनने एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजात के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त भूमि की जमाबन्दी लम्बी अवधि से चल रही है। लम्बी से चल रही कायम जमाबन्दी को रदद करने की सुनवाई हेतु यह न्यायालय

सक्षम नहीं है। पूर्व में भी उपसमाहर्ता भूमि सुधार सदर रांची के न्यायालय का विविध संख्या–31/2012–13 में पारित आदेश के विरूद्ध बबलू मुण्डा पिता स्व० फूलचन्द एवं अन्य के द्वारा अपीलीय न्यायालय में चुनौती नहीं दिया गया है। इस प्रकार यह विविध वाद प्राङ् न्याय के सिद्धान्त (Deoctrine of Res Judicata) से प्रभावित प्रतीत होता है क्योंकि पूर्ववर्ती एवं पश्चातवर्ती वादों का वादपदग्रस्त विषय–वस्तु एवं पक्षकार समान हैं।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में आवेदक का आवेदन सुनवाई हेतु पोषनीय (Maintabile) नही है। अतः आवदेन अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

10/1/22
अपर समाहर्त्ता
राँची।

10/1/22
अपर समाहर्त्ता,
राँची।

Digitally signed by RAM NARAYAN SINGH
Date: 2024.02.17 12:01:36 +05:30
Location: 192.168.2.175